**भारत सरकार**

**पेयजल और स्‍वच्‍छता मंत्रालय**

राज्‍य सभा

अतारांकित प्रश्‍न संख्‍या**. 665**

दिनांक **27.07.2015** को उत्‍तर दिए जाने के लिए

**Rkfey ukMq esa is;ty dh izfr O;fDr miyCèkrk**

**665- Jh Vhñ dsñ jaxkjktu%**

D;k is;ty ,oa LoPNrk ea=h ;g crkus dh d`ik djsaxs fd%

¼d½ D;k ;g lp gS fd ns'k esa is;ty dh izfr O;fDr miyCèkrk esa mÙkjksÙkj deh vk jgh gS(

¼[k½ foxr nl o"kks± ds nkSjku o"kZ&okj rfey ukMq esa ty dh izfr O;fDr miyCèkrk D;k jgh gS( vkSj

¼x½ ljdkj ns'k esa i;kZIr ek=k esa ty miyCèk djkus ds fy, D;k dkjZokbZ dj jgh gS\

**उत्‍तर**

**राज्‍य मंत्री, पेयजल एवं स्‍वच्‍छता मंत्रालय**

**(श्री राम कृपाल यादव)**

(क) पेयजल एवं स्‍वच्‍छता मंत्रालय राष्‍ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (एनआरडीडब्‍ल्‍यूपी) के तहत देश में ग्रामीण आबादी को पेयजल उपलब्‍ध कराता है। वर्तमान मानदंडों के अनुसार दिनांक 01.04.2015 की स्‍थिति के अनुसार देश भर में 74.14 प्रतिशत ग्रामीण आबादी को न्‍यूनतम 40 लीटर प्रति व्‍यक्‍ति प्रति दिन (एलपीसीडी) जल उपलब्‍ध कराकर पूर्ण रूप से कवर किया गया है, जबकि दिनांक 01.04.2009 की स्‍थिति के अनुसार 65.69 प्रतिशत कुल ग्रामीण आबादी को 40 लीटर प्रति व्‍यक्‍ति प्रति दिन (एलपीसीडी) उपलब्‍ध कराकर कवर किया गया था। अत: जहाँ तक पेयजल का संबंध है देश में प्रति व्‍यक्‍ति पेयजल की उपलब्‍धता बढ़ रही है।

 मंत्रालय प्रति व्‍यक्‍ति संपूर्ण जल उपलब्‍धता की निगरानी नहीं करता जिसमें सिंचाई तथा अन्‍य कार्यों के लिए जल शामिल हो सकता है।

(ख) तमिल नाडु राज्‍य द्वारा उपलब्‍ध कराई गई सूचना के अनुसार पिछले दस वर्षों के दौरान राज्‍य में पेयजल की प्रति व्‍यक्‍ति उपलब्‍धता निम्‍नलिखित अनुसार है:-

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| क्र.सं.  | वर्ष  | तमिल नाडु में ग्रामीण बसावटों में औसतन प्रति व्‍यक्‍ति पेयजलापूर्ति लीटर प्रति व्‍यक्‍ति प्रति दिन (एलपीसीडी) में  |
| 1 | 2006-07 | 33.50 |
| 2 | 2007-08 | 33.84 |
| 3 | 2008-09 | 34.84 |
| 4 | 2009-10 | 37.57 |
| 5 | 2010-11 | 38.16 |
| 6 | 2011-12 | 38.47 |
| 7 | 2012-13 | 37.54 |
| 8 | 2013-14 | 37.50 |
| 9 | 2014-15 | 38.58 |
| 10 | 2015-16 | 38.67 |

(ग) वर्ष 2011-22 तक की अवधि की कार्य योजना के अंतर्गत जिसमें आगामी दो पंचवर्षीय योजना अवधियों को शामिल किया गया है, 12वीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक अर्थात् वर्ष 2017 तक पाइप द्वारा जलापूर्ति करके 50% ग्रामीण परिवारों को कवर करने तथा 35% ग्रामीण परिवारों को पारिवारिक कनेक्शन दिए जाने का अंतरिम लक्ष्य है। वर्ष 2022 तक 90% ग्रामीण परिवारों को पाइप द्वारा जलापूर्ति तथा 80% ग्रामीण परिवारों को पारिवारिक नल कनेक्शन दिए जाने का लक्ष्य है।